न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 59/2020
आरसीएमएस नं. 2020/59

अब्दुल मजीद पुत्र मुसलदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23 नोहर त0 नोहर।
–अपीलान्ट

बनाम

1. मुश्ताक अली
2. ईकबाल पठान } पि0 अयूब खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23 नोहर
3. जाकिर हुसैन } तहसील नोहर।
4. युसुफ अली पुत्र मुसलदीन जाति मुसलमान निवासी वार्डनं. 23 नोहर।
5. अमीना बेगम पत्नी आयूब खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23 नोहर
6. शकीला बानो
7. वकीला बानो } पुत्रियांन अयूब खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23 तहसील नोहर।
8. शराफत बानो
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28.08.2018 द्वारा
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर
प्रकरण संख्या 311/2018 बअनवानी मुश्ताक अली बनाम अब्दुल मजीद आदि

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री कुलदीप सिह खुड़िया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4
श्री नरेन्द्र जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3, 4
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांक – 08.09.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 आरटीएक्ट में पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि वादीगण की शामिल खाते की चक 3 बी.के.के. त0 नोहर के खाता सं0 7/6 की 1.7710 है0 भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 यानि अयूब खां के वारिस 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 अब्दुल मजीद 1/2 हिस्सा का खातेदार है तथा इसी चक में खाात संख्या 8/7/8 की 4.020 है0 में अयूब खां के वारिसान 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2 का 1/3 हिस्सा के खातेदार है तथा खाता सं0 9/9 की 1.1890 है0 में अयूब खां के वारिसान का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा के खातेदार हैं। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उक्त भूमि का पारिवारिक बंटवारा कर लिया है। इसलिए मुताबिक बंटवारानामा के वाद वादी डिक्री किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वादीगण का वाद डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ताा अपीलण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा में समस्त भूमि को शामिल नहीं किया गया है एक खाते की भूमि और है जिसे दावा में शामिल नहीं किया इसलिए निर्णय खारिज योग्य है तथा दावा में प्रस्तुत जमाबंदी में अपीलाण्ट के हिस्से में 2.7825 है0 भूमि आती है। लेकिन रेस्पोडेण्ट ने मिली भगत करके 1.625 है0 भूमि वो भी उबड़ खाबड़ रेतीली व बंजर भूमि अपीलाण्ट को दी है जो अपीलाण्ट के हितों के खिलाफ है। दाव खाता विभाजन का है लेकिन निर्णय से पूर्व स्टेट की ओर से किसी प्रकार का ना तो नोटिस जारी किया गया ना ही स्टेट का जवाब है। पत्रावली में ऐसा कोई बंटवारा का सबूत भी पेश नहीं किया गया है। पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार बंटवारा नहीं हुआ था जो बंटवारा हुआ था उसमें अपीलाण्ट के हस्ताक्षर नहीं है। इस बंटवारा के संबंध में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। फर्जी राजीनामा दिखा कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया गया है। खाता विभाजन के दावा में प्रथम तथा प्राथमिक डिक्री किया जाकर विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट तहसीलदार नोहर से मंगवानी होती है, जो नहीं मंगवाई गई है, इसलिए निर्णय निरस्त किया जावे। दिनांक 16.02.2018 को पत्रावली पेश की गई थी जिसके बाद पत्रावली में बिना तारीख पेशी के ही प्रतिवादीगण के इकबाल लगाकर शामिल करवा दिये तथा प्रतिवादी सं0 के खिलाफ पत्रावली में फर्दअहकाम में कहीं भी उपस्थिति दर्ज नहीं की है। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नही था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि सभी पक्षकारों के मध्य पूर्व मं दिनांक 16.11.2017 को पारिवारिक 100/– रू0 के स्टाम्प पर बंटवारा हो चुका था। अपालण्ट ने इस पारिवारिक समझौता के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी जिसपर एफआर लगा दी गई है। विचारण न्यायालय ने समस्त पक्षकारों की उपस्थिति रहीं है। इनकी तरफ से वकील ने इकबालदावा पेश किया है। अपीलाधीन निर्णय पक्षकारों की सहमति के आधार पर पारित किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017–15 पेज 429 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनिमय स्वीकार किया जाता है।
7. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 2 ने खाता विभाजन एवं अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया था पक्षकारों की उपस्थिति उपरान्त वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण डिक्री किया है। पत्रावली में अपीलाण्ट अब्दुल मजीद का मूल इकबाल दावा पुलिस अधिक्षक वृत नोहर द्वारा मु0 नं0 395 दिनांक 18.09.2020 में अनुसंधान हेतु आवश्यकता होने के कारण उनको उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 131 दिनांक 23.04.2021 के द्वारा दिया गया है, जिसकी फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय आपसी सहमती के आधार पर निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2014–15 (सुप्र) पेज नं. 429 के अनुसार "लिखित अभिवचनों व स्वीकृति क विरूद्ध कथन नहीं किया जा सकता है।" इस प्रकरण में भी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इकबाल दावा पेश किया है, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट कथन नहीं कर सकता है। यदि इकबालदावा षड़यंत्र पूर्वक लगाया है तो उसके विरूद्ध विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसके अतिरिक्त पक्षकारों के मध्य पूर्व में दिनांक 16.11.2017 को पारिवारिक समझौता होने का तथ्य सामने आया है जिसके संबंध मे अपीलाण्ट अब्दुल मजीद एफआईआर नं. 82 दिनांक 28.06.2022 दर्ज हुई

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जिसकी फोटो प्रति रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अपील में प्रस्तुत की है। इस एफआईआर में किसी भी संज्ञेय अपराध की पुष्टि नहीं होना माना गया एवं प्रकरण में एफ.आर. अदम वकू (सिविल नेचर) दिया जाना उचित बताया गया है। यदि कोई कूट रचित दस्तावेज है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2018 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 08.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/22

(करतारसिह पूनीया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज)

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील सं0 59/2020
आरसीएमएस नं. 2020/59

अब्दुल मजीद पुत्र मुसलदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23 नोहर त0 नोहर।
—अपीलान्ट

बनाम

1. मुश्ताक अली
2. ईकबाल पठान } पि0 अयूब खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23 नोहर
3. जाकिर हुसैन } तहसील नोहर।
4. युसुफ अली पुत्र मुसलदीन जाति मुसलमान निवासी वार्डनं. 23 नोहर।
5. अमीना बेगम पत्नी आयूब खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23 नोहर
6. शकीला बानो
7. वकीला बानो } पुत्रियांन अयूब खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23 तहसील नोहर।
8. शराफत बानो
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

— रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28.08.2018 द्वारा
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर
प्रकरण संख्या 311/2018 बअनवानी मुश्ताक अली बनाम अब्दुल मजीद आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री कुलदीप सिह खुड़िया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4, श्री नरेन्द्र जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3, 4, श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2018 यथावत रखा जाता है। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 8.9.22 को जारी की गई।

(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़